Sr. No.	EDS sought from Forest Department	Compliance by GAIL	Remarks
1	Approach road is not shown in KML file. Kindly upload the KML file by marking the same.	An approach road is shown in KML already attached. To clarify location of the approach road Screen shot marked with approach road is enclosed herewith for your ready reference.	Enclosed screen shot duly marked as Annexure-1.
2	Administrative and financial approval of the proposal is not uploaded. Kindly upload the same.	Administrative & Financial approval of project already been uploaded. The project is approved by **Petroleum and Natural Gas Regulatory Board** (PNGRB) which is an autonomous body of **Min of Petroleum & Natural Gas** (MoPNG), **Govt. of India.**	Letter of approval is enclosed herewith as Annexure-2.
3	FRA uploaded is scan of Photo-stat. Kindly upload the scan of original FRA; also upload the VLC proceeding/NOC of Village Kuanwalla as per the detail mentioned in the B2.3-village wise break up.	**Scanned copy of original FRA is enclosed herewith.**	Scan copy of original FRA and Bar Chart enclosed herewith as Annexure-3.
4	As clear from the aerial distance certificate the concerned proposal is within 10 km distance from the protected area. Kindly upload the annexure 26 with comments and signed by CWLW.	Annexure 26 is not applicable to User Agency.	Forest department is requested to upload the same please.
5	Kindly upload the checklist/ fact sheet as additional information and upload all the annexure as per the detail mentioned in the check list by mentioning their name in the remark column.	All annexures are already uploaded as "Additional Information" also uploaded again for further clarification please.	Documents are enclosed herewith as Annexure-5.

-

गेल (इंडिया) लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
GAIL (India) Limited
Govt.of India Undertaking
आर.टी.–हरिद्वार / R.T.-Haridwar
ज्वालापुर / Jwalapur
हरिद्वार–249407 / Haridwar-249407

KAPWING

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
Petroleum and Natural Gas Regulatory Board
प्रथम-तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नयी दिल्ली - 110001
1st Floor, World Trade Centre, Babar Road, New Delhi - 110001
फैक्स नं /.Fax No. 91 11 23709151; E-mail contact@pngrb.gov.in

Ref: PNGRB/Monitoring/2/NGPL-DBNPL/(4)/2012 02nd July, 2019

To,
GAIL (India) Limited
(Kind Attn.: *Shri B C Tripathi, Chairman & Managing Director*)
GAIL Bhawan, 16, Bhikaji Kama Place,
R. K. Puram, New Delhi- 110066

Subject: Extension of completion schedule of Haridwar-Rishikesh-Dehradun pipeline section of Dadri-Bawana-Nangal Natural Gas Pipeline (DBNPL) authorized to GAIL (India) Limited

Sir,

This is with reference to your letter No. GAIL/ND/RA/CJHPL& DBNPL/363394/2018/2202 dated 22.10.2018 and letter No. GAIL/ND/RA /CJHPL-DBNPL/2019/2387 dated 03.06.2019 on the above subject.

2. In this regard, considering the need to facilitate City Gas Distribution (CGD) Network in Dehradun District, the undersigned is directed to convey the approval of the Board for extension of completion schedule for laying, building, operating or expanding of Haridwar-Rishikesh-Dehradun pipeline section of DBNPL upto **31st August, 2020**, as requested by you.

3. It is further informed that the above approval is subject to regular quarterly review of the project by GAIL's Board of Directors, and sharing of the agenda note and minutes of the Board meeting with PNGRB. On receipt of agenda note and the minutes, PNGRB shall review the progress of the project with GAIL's concerned Director on quarterly basis.

4. All other terms and condition of authorization shall remain the same.

5. The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

Vandana Sharma

(Vandana Sharma)
Secretary

CC: Shri Ashish Chatterjee,
Joint Secretary (GP),
Ministry of Petroleum and Natural Gas,
Shastri Bhawan, New Delhi-110001

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

1st Floor, World trade Centre, Barakhamba Road, Babar Lane, New Delhi
Tel No: 011-23457700/23457744/23457751

No. Infra/PL/New/17/DBNPL/GAIL/01/11 Dated: 18th February, 2011

To
Chairman & Managing Director,
M/s GAIL (India) Limited,
16, Bhikaji Gama Place,
R. K. Puram, New Delhi - 110066

Subject: Final Terms and Conditions for Acceptance of Central Government Authorization for laying, building, operating or expanding Dadri-Bawana-Nangal Natural Gas Pipeline Network of GAIL as common carrier pipeline network under regulation 17(1) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas pipelines) Regulations, 2008.

Reference:

(i) Your application dated 04.12.08 seeking acceptance of Central Government authorization for Dadri-Bawana-Nangal pipeline system vide Letter no. GAIL/ND/CA/PNGRB/2007.
(ii) Provisional T&C issued by PNGRB vide letter no. Infra/PL/Exis/17/DUPDPL/GAIL/01/09 dated 23.10.09.
(iii) Your letter no. GAIL/ND/RC./PNGRB/146 dated 09.04.2010 submitting Performance Bond.
(iv) Your letter no. GAIL/ND/RC/PNGRB/194 dated 26.10.2010 regarding capacity utilization for the pipeline.

Sir,

This is in response to your application dated 04.12.2008 referred to above for consideration of the Board for acceptance of Central Government Authorization for laying, building, operating or expanding Dadri-Bawana-Nangal natural gas pipeline network.

2. To substantiate your claim for authorization from the Central Government for the said pipeline project, you had furnished documents like MoP&NG's authorization letter (Ref. No. L-14014/40/'06-GP) dated 11.07.2007 and copy of the EOI published in the newspaper for capacity booking. Considering your submissions, the Petroleum and Natural gas Regulatory Board finally accepts the information submitted by you under Regulation 17(1) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas pipelines) Regulations, 2008. Further on the basis of the submissions made, the following terms and conditions have been finalised by the Petroleum and Natural gas Regulatory Board which shall be applicable during the construction as well as operative phase of the said pipeline systems:

रतन पी. वाटल/RATAN P. WATAL
सचिव/Secretary
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
Petroleum & Natural Gas Regulatory Board
प्रथम तल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर
1st Floor, World Trade Centre,
बाबर रोड, नई दिल्ली – 110001
Babar Road, New Delhi - 110001

आर. के. वर्मा/ R. K. VERMA
उप महाप्रबंधक (सर्वे एवं भू अधि.)/Dy. General Manager (S&LR)
गेल (इंडिया) लिमिटेड/GAIL (India) Limited
8वां तल, गेल जुबली टॉवर बी-35-36, सेक्टर-1, नौएडा (उ.प्र.)
8th Floor, GAIL Jubilee Tower B-35-36, Sec.-1, Noida (U.P.)

a. the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand natural gas pipelines) Regulations, 2008;

b. the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of natural gas pipeline Tariff) Regulations, 2008;

c. the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Natural Gas Pipeline as Common Carrier or Contract Carrier)Regulations, 2009

d. the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board(Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines), Regulations, 2009;

e. the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access code for common carrier or contract carrier natural gas pipelines) Regulations, 2008;

f. the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Affiliate code of conduct for entities engaged in marketing of natural gas and laying, building, operating or expanding natural gas pipeline) Regulations, 2008;

g. the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining capacity of Petroleum, Petroleum products and Natural Gas Pipeline) Regulations, 2010

h. the PNGRB Act and any other regulations notified by the Board from time to time , as may be applicable.

10. The entity shall comply with any other term or condition which may be notified by the Board in public interest, from time to time.

11. You are requested to confirm your acceptance in the space provided below and return the same in original.

Yours Faithfully,

Dated: 15/2/2011

Ratan Pwatal

Secretary, PNGRB

रतन पी. वाटल/RATAN P. WATAL

Official Seal

सचिव/Secretary

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
Petroleum & Natural Gas Regulatory Board
प्रथम तल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर
1st Floor, World Trade Centre,
बाबर रोड, नई दिल्ली – 110001
Babar Road, New Delhi - 110001

Copy to: Joint Secretary (M)
Ministry of Petroleum & Natural Gas
Shastri Bhavan,
New Delhi-110001

Acceptance of Terms and Conditions

I / We hereby agree to the terms and conditions issued by the Board vide letter ref. <____________________> dated <_____> and agree to

आर. के. वर्मा/ R. K. VERMA
उप महाप्रबंधक (सर्व एवं भू अभि.)/Dy. General Manager (S&LR)
गेल (इंडिया) लिमिटेड/GAIL (India) Limited
गेल जुबली टॉवर बी-35-36, सेक्टर-1, नौएडा (उ.प्र.)

ANNEXURE-I

DETAILS OF DADRI-BAWANA-NANGAL NATURAL GAS PIPELINE:

ITEMS	DETAILS	
NAME OF PIPELINE	**Trunk Line** i) Dadri –Bawana (Tap-off) (36") ii) Bawana (tap-off) – Yamunangar (36") iii) Yamunanagar to Ludhiana (30") **Spur-lines** to Rithala, Bawana, Sonipat, Panipat, Yamunananagr, Saharanpur, Khanna, Nangal, Ambala, Dorha, Bhatinda, Jalandhar, Amritsar, Derabassi, Larlu, Chandigarh, Meerut, Haridwar, Roorkee, Rishikesh & Dehradun	LENGTH (Kms) 40 149 147 Total: 336 Kms Approx. 550 Kms **TOTAL: 886 Kms**
DESIGN CAPACITY	31 MMSCMD at 99.93 Kg/cm2g including 7.75 MMSCMD as common carrier capacity	
COMPRESSOR STATIONS	NIL	
DIAMETER OF PIPELINE	36"/30"/18"/10"/8"	
CLASS OF PIPELINE	600	

रतन पी. वाटल RATAN P. WATAL
सचिव, Secretary
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
Petroleum & Natural Gas Regulatory Board
प्रथम तल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर
1st Floor, World Trade Centre,
बाबर रोड, नई दिल्ली – 110001
Babar Road, New Delhi - 110001

आर. के. वर्मा/ R. K. VERMA
उप महाप्रबंधक (सर्वे एवं भू अधि.)/Dy. General Manager (S&LR)
गेल (इंडिया) लिमिटेड/GAIL (India) Limited
8वां तल, गेल जुबली टॉवर बी-35-36, सेक्टर-1, नोएडा (उ.प्र.)
8th Floor, GAIL Jubilee Tower B-35-36, Sec.-1, Noida (U.P.)

Form-1

(For Linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the **District Magistrate, Dehradun**

No. ......3...... Date: ......5.8.2019......

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of Ministry of Environment (MoEF), Government of India's letter No. 11-09/98-FC 9(Pt.) Dated 28th October 2014, it is certified that **1.1111** hectares of forest land proposed to be diverted in the favour of **GAIL (India) Limited** for laying of Natural Gas Pipeline along with OFC along NH-72 (Nepali Farm-Dehradun Road) from village Nepali Farm via Village Chidderwala,Majri Grant,Bhaniawala,Lacchiwala,Kunwawala to Mohkampur having total length of **11.111** Km of Reserve Forest falling in the state of Uttarakhand in District- Dehradun. According to this letter, (Copy of letter enclosed herewith for your ready reference please) for the projects like laying of pipelines/ Optical Fibres, Transmission lines etc., where *linear diversion of use of forest land in several villages are involved*, unless recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities are being affected, are exempted from the requirement of obtaining consent of the concerned Gram-Sabha(s) as stipulated in clause(c) read with clause (e) and clause (f) in second para of this Ministry's said letter dated 03.08.2009.

It is further certified that forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as *"forest"* less than 75 years prior to 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act, 2006) as per census-2001 and the census-2011. This proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities. A copy of Sub Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as Annex...A to B.

Enclosed:-As Above.

District Magistrate
Dehradun (Uttarakhand)

जिलाधिकारी
देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

जिला स्तरीय समिति

जनपद देहरादून के अंतर्गत ग्राम ग्राम नेपाली फार्म से ग्राम मोहकमपुर तक गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 इंच व्यास की भूमिगत गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु देहरादून जनपद मे आने वाली 1.1111 हे॰ आरक्षित वन भूमि का प्रयोक्ता एजंसी के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिलाधिकारी देहरादून द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 1/8/19 को आयोजित की गई थी जिसमें निम्न अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित हुए।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं 2008 के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक श्री सी॰ रविशंकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री सी॰ रविशंकर	जिलाधिकारी, दे॰दून	
2	राजीव धीमान	डी॰एफ॰ओ देहरादून	[signature] प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग
3	जोतसिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधि॰	[signature] जिला समाज कल्याण अधिकारी
4	देवेन्द्र सिंह नेगी	सदस्य जिला पंचायत रायपुर	सदस्य जिला पंचायत, रायपुर
5	तजेन्द्र सिंह 9897161934	सदस्य जिला पंचायत डोईवाला	जिला पंचायत सदस्य, Tajendra Singh

इस बैठक में उक्त प्रस्ताव पर अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी के Right एवं Settlement के संबंध मैं चर्चा व विमर्श किया गया। उक्त समिति के प्रस्तुत प्रस्ताव / आख्या के अनुसार वर्तमान में विचारधीन उक्त वन-भूमि हस्तांतरण में यह पाया गया कि देहरादून वन प्रभाग की आरक्षित वन भूमि के चिन्हित भू-भाग पर वन अधिकार हेतु किसी अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासी से संबन्धित समुदाय का Right एवं Settlement की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। सतह वन अधिकार हेतु कोई दावा नहीं है।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन किया जाता है। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक का समापन किया गया।

[signature]

जिलाधिकारी, देहरादून

प्रतिलिपि:- गेल (इंडिया) लिमिटेड, जुबिली टावर, जी बी नगर, नोएडा।

जिलाधिकारी देहरादून।

प्रपत्र - 23.2

परियोजना का नाम-नेपाली फार्म-देहरादून पाइपलाईन कनेक्टिविटिके अंतर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 इंच व्यास की भूमिगत गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु देहारादून वन मण्डल की 1.1111 हे॰ वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के बावत।

कार्यालय उपजिलाधिकारी ऋषिकेश

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाणपत्र

उपखंड स्तरीय समिति

जनपद देहारादून के उपखंड ऋषिकेश में ग्राम नेपाली फार्म से उपखंड देहारादून के ग्राम मोहकमपुरतक गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 इंच व्यास की भूमिगत गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु देहारादून जनपद मे आने वाली 1.1111 हे॰ आरक्षित वन भूमि का प्रयोक्ता एजंसी के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के उपखंड स्तरीय समिति ऋषिकेश की दिनांक 02/07/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रेम लाल उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्क्ष्यता में आयोजित की गयी । बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है ।

1. प्रेम लाल उपजिलाधिकारी ऋषिकेश
2. डी० डी० घंतालिया
3. श्री महेश प्रताप सिंह (स० स० क० अधि०)
4. श्रीमती बीना देवी - प्रमुख क्षेत्र पंचायत - डोईवाला
5. गोकुल रमोला - क्षेत्र पंचायत छिद्दरवाला

उप जिलाधिकारी ऋषिकेश

उप प्रभागीय वनाधिकारी ऋषिकेश देहरादून वन प्रभाग देहरादून

सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड - डोईवाला जनपद देहरादून। उत्तराखण्ड

बीनादेवी प्रमुख क्षेत्र पंचायत डोईवाला

क्षेत्र पंचायत सदस्य छिद्दरवाला ... - डोईवाला जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)

उपखंड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए, उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के अंतर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 इंच व्यास की भूमिगत गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु देहरादूनजनपद मे आने वाली 1.1111 हे॰ आरक्षित वन भूमि का प्रयोक्ता एजंसी के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अंतर्गत वन अधिकार का कोई मामला लंबित नहीं है। उक्त भूमि का प्रयोक्ता एजंसी तथा वन विभागद्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें कि देहरादून जनपद मे आने वाली विभिन्न सड़कों, नहरों इत्यादि के किनारों की पट्टियों की कुल 1.1111 हे॰ आरक्षित वन भूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित परियोजना सार्वजनिक हित में है जिसका संज्ञान लेते हुए प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबन्धित उपप्रभागीय वन अधिकारी श्री बि.बि मलोलिया द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्टकरते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। सतह प्रकरण में उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जनपद देहरादून के अंतर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 मि. मी. गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु 1.1111 हे॰ आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण प्रस्ताव को जनहित में होने के कारण सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तन किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

प्रपत्र - 23.2

परियोजना का नाम- **नेपाली फार्म-देहारादून पाइपलाईन कनेक्टिविटि** के अंतर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 इंच व्यास की भूमिगत गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु देहरादून वन मण्डल की 1.1111 हे॰ वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के बावत।

कार्यालय उपजिलाधिकारी डोईवाला

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाणपत्र

उपखंड स्तरीय समिति

जनपद देहारादून के उपखंड ऋषिकेश में ग्राम नेपाली फार्म से उपखंड देहरादून के ग्राम मोहकमपुर (वाया उपखंड डोईवाला के ग्राम माजरी ग्रान्ट, भानियावाला, लच्छीवाला) तक गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 इंच व्यास की भूमिगत गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु देहरादून जनपद मे आने वाली 1.1111 हे॰ आरक्षित वन भूमि का प्रयोक्ता एजंसी के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के उपखंड स्तरीय समिति डोईवाला की दिनांक 29/07/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण ।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री लक्ष्मी राज चौहान उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्क्ष्यता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. लक्ष्मी राज चौहान
2. के० के० मर्तोलिया
3. श्री महेश प्रताप सिंह (स० स० क० अधि०)
4. श्रीमती बीना देवी - प्रमुख क्षेत्र पंचायत डोईवाला
5. श्रीमति सुलोचना देवी - क्षेत्र पंचायत सदस्य माजरी II

उप जिलाधिकारी डोईवाला

उप प्रभागीय वनाधिकारी ऋषिकेश देहरादून वन प्रभाग देहरादून

सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड - डोईवाला देहरादून, उत्तराखण्ड

बीना देवी प्रमुख क्षेत्र पंचायत डोईवाला

सुलोचना देवी पंचायत सदस्य माजरी II विकास खण्ड डोईवाला देहरादून (उत्तराखण्ड)

उपखंड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए, उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के अंतर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 इंच व्यास की भूमिगत गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु देहरादून जनपद मे आने वाली 1.1111 हे॰ आरक्षित वन भूमि का प्रयोक्ता एजंसी के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अंतर्गत वन अधिकार का कोई मामला लंबित नहीं है। उक्त भूमि का प्रयोक्ता एजंसी तथा वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें कि देहरादून जनपद मे आने वाली विभिन्न सड़कों, नहरों इत्यादि के किनारों की पट्टियों की कुल 1.1111 हे॰ आरक्षित वन भूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित परियोजना सार्वजनिक हित में है जिसका संज्ञान लेते हुए प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबन्धित उपप्रभागीय वन अधिकारी श्री डी. पी. भतोलिया द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। सतह प्रकरण में उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जनपद देहरादून के अंतर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 मि. मी. गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु 1.1111 हे॰ आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण प्रस्ताव को जनहित में होने के कारण सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तन किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

29/7/19
उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी
डोईवाला

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

29/7/19
उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी
डोईवाला

पत्र - 23.2

परियोजना का नाम- नेपाली फार्म-देहरादून पाइपलाईन कनेक्टिविटि के अंतर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 इंच व्यास की भूमिगत गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु देहरादून वन मण्डल की 1.1111 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के बावत।

कार्यालय उपजिलाधिकारी देहरादून

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाणपत्र

उपखंड स्तरीय समिति

जनपद देहरादून के उपखंड ऋषिकेश में ग्राम नेपाली फार्म से उपखंड देहरादून के ग्राम मोहकमपुर तक गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 इंच व्यास की भूमिगत गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु देहरादून जनपद मे आने वाली 1.1111 हे० आरक्षित वन भूमि का प्रयोक्ता एजंसी के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के उपखंड स्तरीय समिति देहरादून की दिनांक 01/07/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण ।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री कमलेश मेहता उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्क्ष्यता में आयोजित की गयी । बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है ।

1. कमलेश मेहता, उपजिलाधिकारी, देहरादून

परगना मजिस्ट्रेट (सदर)
देहरादून

2. के० के० पंतोलिया

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग देहरादून

3. श्री महेश प्रताप सिंह (स०स०क०अधि०)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड - डोईवाला
जनपद देहरादून उत्तराखण्ड

4. श्रीमती बीना देवी - प्रमुख क्षेत्र पंचायत - डोईवाला

बीना देवी
प्रमुख
क्षेत्र पंचायत डोईवाला

5. श्री विनोद कुमार पार्षद हरीवाला कुआंवाला -

विनोद कुमार
पार्षद
वार्ड नं० 97 हर्रावाला, कुआँवाला
नगर निगम, देहरादून

उपखंड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए, उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के अंतर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 इंच व्यास की भूमिगत गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु देहरादून जनपद मे आने वाली 1.1111 हे॰ आरक्षित वन भूमि का प्रयोक्ता एजंसी के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया । ग्राम सभा के अंतर्गत वन अधिकार का कोई मामला लंबित नहीं है। उक्त भूमि का प्रयोक्ता एजंसी तथा वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें कि देहरादून जनपद मे आने वाली विभिन्न सड़कों, नहरों इत्यादि के किनारों की पट्टियों की कुल 1.1111 हे॰ आरक्षित वन भूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित परियोजना सार्वजनिक हित में है जिसका संज्ञान लेते हुए प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबन्धित उपप्रभागीय वन अधिकारी श्री वि.बि. मर्तोलिया द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। सतह प्रकरण में उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जनपद देहारादून के अंतर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 8 मि. मी. गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु 1.1111 हे॰ आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण प्रस्ताव को जनहित में होने के कारण सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तन किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष

परगना मजिस्ट्रेट (सदर)
देहरादून

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी देहारादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष

परगना मजिस्ट्रेट (सदर)
देहरादून

प्रारूप -17

परियोजना विवरण : जनपद देहरादून के कुंवावाला गांव में GAIL के रिसीविंग टर्मिनल (RT) के लिए एप्रोच रोड के निर्माण हेतु 0.0132 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव

बार चार्ट

क्रम संख्या	भूमि का प्रकार	संकेत	याचित भूमि लम्बाई x चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	कुल हेक्टेयर
1	आरक्षित वन भूमि		22.00 x 6.00	132.00	0.0132
2	वन पंचायत भूमि		0.00 x 0.00	0.00 x 0.00	0.00 x 0.00
3	सिविल सोयम वन भूमि		0.00 x 0.00	0.00 x 0.00	0.00 x 0.00
4	नाप भूमि		0.00 x 0.00	0.00 x 0.00	0.00 x 0.00
कुल भूमि			**22.00 x 6.00**	**132.00**	**0.0132**

लम्बाई (मीटर)

हस्ताक्षर/-

प्रयोक्ता एजेंसी

बख्तावर सिंह / BAKHTAWAR SINGH
उप महाप्रबन्धक (निर्माण) / Dy.General Manager (Const.)
गेल (इंडिया) लिमिटेड / GAIL (India) Limited
आर.टी.–हरिद्वार, ज्वालापुर–249407 (उत्तराखण्ड)
R.T.-Haridwar, Jwalapur-249407 (Uttarakhand)

तहसीलदार

तहसीलदार सदर देहरादून

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
लच्छीवाला
देहरादून वन प्रभाग

उप विभागीय वनाधिकारी

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

उप -जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून